न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

जितेन्द्र देवासी पुत्र रानाराम देवासी, जाति- देवासी,
निवासी- रेबारी वास, राजकीय विद्यालय के पीछे, आकोली, पोस्ट बागरा, जिला-जालोर
(मालिक एवं खाद्य काराबारकर्ता)
फर्मः- सारणेश्वर डेयरी पार्लर, शॉप नं.3, इस्कॉन प्लाजा, सिरोही, जिला- सिरोही

प्रकरण संख्याः 39/2019

''अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006''

उपस्थितिः

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. प्रतिवादी जितेन्द्र देवासी

-: निर्णय :- **दिनांक 17 जनवरी, 2020**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 01.8.2019 को समय 12.15 पी.एम. पर फर्म सारणेश्वर डेयरी पार्लर, शॉप नं. 3 इस्कॉन प्लाजा, सिरोही पर पॅहुचा। विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति जितेन्द्र देवासी पुत्र रानाराम देवासी, जाति- देवासी, निवासी- रेबारी वास, राजकीय विद्यालय के पीछे, आकोली, पोस्ट- बागरा, जिला- जालोर है एवं आम जनता को उपयोग के लिये मिक्स्ड मिल्क का विक्रय करता है जो आस पास के गांवों के पशुपालकों से इकट्ठा करता है, इसमें गाय व भैस का दूध शामिल है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान के अन्दर डीप फ्रिज के टैंक में बिक्री हेतु मौजूद मिक्स्ड मिल्क लगभग 20 लीटर को एक लीटर के नपने से अच्छी तरह हिला मिलाकर एक रुप किया एवं इस एक रुप किये हुए मिक्स्ड मिल्क में से 2 लीटर मिक्स्ड मिल्क को एक साफ सूखे खाली भिगोने में खरीदा एवं गाय के दूध की कीमत रुपये 80/- अदा की व खरीद रसीद बिल प्राप्त किया एवं फार्म संख्या 5ए तैयार किया। खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद व फार्म संख्या 5ए न्याय निर्णयन

.....पेज दो पर

आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखी एवं खाली शीशीयां दिखाई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक, दिनांक स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना बोतलों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् खरीद शुदा मिक्स्ड मिल्क को चारों साफ सूखी, खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक बोतल में 40-40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर बोतलों को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-989 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये और चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता जितेन्द्र देवासी ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियों तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा तथा फार्म संख्या 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग आउटर कवर में बंद कर गोंद से चिपकाई। नमूनें के चारो भागों एवं लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 02.8.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री दौलतराम, साईकिएट्रिक सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 02.8.2019 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 का सील बन्द ल्फिाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता जितेन्द्र देवासी से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क का नमूना S-989 अमानक (Sub-standard) पाया गया। जांच रिपोर्ट की प्रति विक्रेता जितेन्द्र देवासी को भेजकर सूचित किया कि जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप 8 में पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को प्रस्तुत करे, लेकिन जितेन्द्र देवासी

......पेज तीन पर

ने पुन: जांच का आवेदन प्रस्तुत नही किया। प्रकरण से संबंधित मूल कागजात एवं अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां अभियोजन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को पेश कर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। प्रतिवादी अभियुक्त ने अमानक खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क का विक्रय करके अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जितेन्द्र देवासी को नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत तामिल कराई गई। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 13.1.2020 को प्रतिवादी अभियुक्त ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें यह अंकित किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने दिनांक 01.8.2019 को मिक्स्ड मिल्क का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार सबस्टेडंर्ड पाया गया है। वह मै गांव के पशुपालकों से गायो व भैसों का दूध इकठ्ठा करता हूँ, मैनें मेरी ओर से इसमें कुछ नही मिलाया है। दूध में एन.एनप.एफ. 7.87 प्रतिशत पाया गया है, फेट में मात्रा सही पाई गई है। यह मेरी प्रथम गलती है जिसमें मै स्वीकार करता हूँ। मैं एक छोटा दुकानदार हूँ। कृप्या मेरी प्रथम माफ करावे।

(3) प्रकरण में प्रतिवादी जितेन्द्र देवासी द्वारा उक्तानुसार गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 13.1.2020 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान परिवाद में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अभियुक्त ने अमानक खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने यह अनुरोध किया कि उसने यह दूध गांवों के पशुपालकों से एकत्रित किया था, उसने इसमें कुछ नही मिलाया है, यह उसकी प्रथम गलती है, इसलिये कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.8.2019 को समय 12.15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म सारणेश्वर डेयरी पार्लर, शॉप नं. 3, इस्कॉन प्लाजा, सिरोही पर गये। वहां विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से जितेन्द्र देवासी पुत्र रानाराम देवासी, जाति- देवासी, निवासी- रेबारी वास, राजकीय विद्यालय के पीछे, आकोली, पोस्ट बागरा, जिला- जालोर उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Mixed Milk का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म सारणेश्वर डेयरी पार्लर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Mixed Milk के अमानक होने का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक

....पेज चार पर

अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री नवल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता जितेन्द्र देवासी को प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर डिप फ्रिज के टैंक में बिक्री हेतु मौजूद Mixed Milk लगभग 20 लीटर को एक लीटर के नपने से अच्छी तरह हिला मिलाकर एक रुप किया एवं इस एक रुप किये हुए Mixed Milk में से 2 लीटर Mixed Milk को एक साफ सूखे खाली भिगोनें में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 80/- (अक्षरे रुपये अस्सी मात्र) विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता जितेन्द्र देवासी को नकद अदा कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए व नमूना खरीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता जितेन्द्र देवासी एवं उक्त गवाह तथा आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह को चार साफ सूखे एवं खाली शीशीयां दिखाकर खरीद शुदा Mixed Milk को चारों साफ सूखी, खाली शीशीयों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक नमूना शीशी में 40-40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर शीशीयों के ढक्कन को एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-989, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता जितेन्द्र देवासी एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये तथा स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-989 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता जितेन्द्र देवासी व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता जितेन्द्र देवासी व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रतिवादी जितेन्द्र देवासी से खाद्य पदार्थ Mixed Milk को नमूना जांच हेतु क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतिया तैयार की एवं उस पर नमूने को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर

....पेज पांच पर

सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सिल चपडी से सिल्ड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 02.8.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री दौलतराम, साईकिएट्रिक, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 02.8.2019 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ Mixed Milk का नमूना संख्या S-989 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./584/Act/2019/638 दिनांक 09.8.2019 के अनुसार आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी जितेन्द्र देवासी से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Mixed Milk का नमूना अमानक (Sub-standard) होना पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी जितेन्द्र देवासी ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Mixed Milk का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त जितेन्द्र देवासी पुत्र श्री रानाराम देवासी, जाति- देवासी, निवासी- रेबारी वास, राजकीय विद्यालय के पीछे, आकोली, पोस्ट बागरा, जिला- जालोर, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म सारणेश्वर डेयरी पार्लर, शॉप नं. 3, इस्कॉन प्लाजा, सिरोही पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी जितेन्द्र देवासी पुत्र श्री रानाराम देवासी, जाति- देवासी, निवासी- रेबारी वास, राजकीय विद्यालय के पीछे, आकोली, पोस्ट बागरा, जिला- जालोर को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.01.31 10:52:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: